

FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत :-अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

अपीलाण्ट्स

बनाम

रेस्पोंडेंट्स

श्रीमती सुखीदेवी धर्मपत्नी श्री शंकरलाल  
जाति मेघवाल निवासी बीजापुर तह.बाली  
जिला पाली राज.

- 1.चिराग कुमार भूपेन्द्र भाई सोनी पुत्र  
भूपेन्द्र भाई जाति सोनी निवासी डा.  
डा. दवे हॉस्पिटल के पास खेडब्रह्मा  
जिला साबरकांठा गुजारात
- 2.विशाल भूपेन्द्र कुमार सोनी पुत्र भूपेन्द्र  
कुमार जाति सोनी डा दवे हॉस्पिटल  
के पास खेडब्रह्मा तह. खेडब्रह्मा जिला  
साबरकांठा गुजारात
- 3.श्रीमान तहसीलदार,बाली जिला पाली

किस्म मुकदमा : राजस्व विविधि प्रकरण संख्या : 68 / 2024

(जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2024 / 82 )

स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
29.02.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। राजस्व (ग्रुप-2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प. 7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय पाली के पत्रांक/ कोर्ट/एडीएम/2023/24 दिनांक 10.01.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित होकर पत्रावली दिनांक 29.04.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली</p>	<p>क्र: 337-338 दिनांक: 29/2/24 की नोटिस जारी।</p>
29/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई। जिला कलक्टर ने मूल पत्रावली से अर्जना प्रत्येक कार कापस में बजांमंदी होने से प्रकरण को आगे नहीं चलाने एवं प्रकरण को विद्रोत किये जाने से मूल पत्रावली निरस्त किये जाने पर अर्जना अर्जना पर की पत्रावली को निरस्त की जाती है। पत्रावली प्रस्तुत अर्जना हीकल नम्बर से कर हो।</p> <p style="text-align: right;">अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)</p>	